समयबद्ध

सं.जी-25020/1/2016/सर्कुलर-मैटीरियल/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/83

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक कार्यालय

चतुर्थ तल, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003

दिनांक 25.02.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों** के संकलन के लिए सामग्री प्रस्तुत किए जाने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश।

संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16 तैयार करने के लिए इस कार्यालय के दिनांक 25.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25018/1/2015-2016/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/82 द्वारा समय अनुसूची जारी की गई थी।

2. संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों के संकलन के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में सुविधा हो इसके लिए विस्तृत अनुदेश नीचे दिए अनुसार जारी किए जा रहे हैं:-

i. वार्षिक लेखे बंद करने संबंधी दिशा निर्देश अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न हैं।

ii. संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों के संकलन के लिए सामग्री तैयार किए जाने संबंधी सामान्य अनुदेश अनुबंध 'ख' में दिए गए हैं।

iii. विवरण संख्या 4 (आईजीएएस-1) को तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध 'ग' में दिए गए हैं।

iv. विवरण संख्या 9 (आईजीएएस-2) के प्रकटन को तैयार करने संबंधी विस्तृत निर्देश अनुबंध 'घ' में दिए गए हैं।

v. विवरण संख्या 3 (संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिम राशियों का संक्षिप्त विवरण) आईजीएएस-3 को तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध 'ङ' में दिए गए हैं।

vi. विवरण संख्या 15 (संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम राशियों का विस्तृत विवरण) आईजीएएस-3 को तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध 'च' में दिए गए हैं।

vii. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न विवरणों के संकलन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने संबंधी विस्तृत अनुदेश एवं दिशा निर्देश और वे फार्मेट जिनमें सूचना प्रस्तुत की जानी है अनुबंध 'छ' में दिए गए हैं।

viii. **संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों के** संकलन संबंधी सामग्री प्रस्तुत किए जाने से संबंधित जांच सूची अनुबंध 'ज' के रूप में संलग्न हैं।

3. सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकों/मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों/उप लेखा नियंत्रकों (स्वतंत्र प्रभारी) और संघ राज्य क्षेत्रों के लेखे भेजने वाले महालेखाकारों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित सामग्री नीचे दी गई तारीखों तक भेज दें:-

आईजीएएस-1 (विवरण सं.4), आईजीएस-2 और आईजीएएस-3 (विवरण संख्या 3 और 15) और विवरण सं.11 सहित सभी विवरण	23.05.16

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(शैलेन्द्र कुमार)
उप महालेखा नियंत्रक
दूरभाष : 24651562

अनुलग्नक : ऊपर दिए अनुसार

सेवा में

1. भारत सरकार के अधीन सिविल मंत्रालयों के सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक।

2. सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

3. उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, 17-बेज भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017

4. महालेखाकार, गुजरात, अहमदाबाद-380001

5. रक्षा लेखा महानियंत्रक (रक्षा), उलान बाटर रोड, पालम दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010

6. रक्षा लेखा महानियंत्रक (सिविल), उलान बाटर रोड, पालम, दिल्ली, दिल्ली छावनी- 110010

7. वित्तीय आयुक्त, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।

8. महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।

9. लेखा एवं बजट निदेशक, मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी का कार्यालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर- 744101

10. निदेशक (पीए-II), डाक भवन, सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

11. लेखा निदेशक, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव, दमन।

12. लेखा निदेशक, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, सिल्वासा।

13. भुगतान और लेखा कार्यालय, लक्षद्वीप, कवरत्ती- 682555

14. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली को सम्पूर्ण लेखा परीक्षा विभाग के संबंध में समेकित सूचना प्रस्तुत करने के लिए।

15. भुगतान और लेखा अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

16. भुगतान और लेखा अधिकारी, राज्य सभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली।

17. भुगतान और लेखा अधिकारी, लोक सभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली।

18. भुगतान और लेखा अधिकारी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, आशोक रोड, नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित:-

1. उप महालेखा नियंत्रक (आईटीडी), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली को यह परिपत्र वेब साइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुबंध 'क'

वार्षिक लेखे बंद करने संबंधी दिशा निर्देश

केंद्रीय लेनदेन विवरण, मासिक लेखा अनुभाग द्वारा पूरक-I लेखा स्वीकार किए जाने के बाद प्रणाली (ई-लेखा) द्वारा तैयार किया जाएगा। ई-लेखा पैकेज आंकड़ों के पूर्णांकन का ध्यान रखेगा। तथापि, प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा केंद्रीय लेनदेन विवरण में शामिल आंकड़ों के सही होने और उनके पूर्णांकन को सुनिश्चित किया जाना होगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई विसंगति नहीं है, प्रधान लेखा कार्यालय केंद्रीय लेनदेन विवरण स्वीकार किए जाने के लिए ई-लेखा के माध्यम से वित्त लेखा अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। साथ ही, प्रधान लेखा कार्यालय प्रणाली निर्मित रिपोर्ट और अग्रेषण पत्र प्रत्येक की हस्ताक्षरित प्रति वित्त लेखा अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। इसके प्राप्त होने पर, वित्त लेखा अनुभाग सामान्य जांच करने के बाद केंद्रीय लेनदेन विवरण संबंधी अपनी स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से ही प्रधान कर देगा।

2. उपर्युक्त अग्रेषण पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किए जाएं:-

(i) प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में शामिल किए गए लेनदेन संबंधित विभागीय प्राधिकारियों को भेज दिए गए थे। विवरणों का उनके द्वारा विधिवत समाधान कर दिया गया है और उनकी स्वीकृत को रिकार्ड में रख दिया गया है।

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि महालेखा नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई नया मुख्य या लघु शीर्ष खोला और इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है, केवल उस मामले को छोड़कर जिसमें मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में उसके लिए प्राधिकार मौजूद है।

(iii) प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में शामिल सभी ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण के आंकड़े विभागीय प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं और वर्ष के अंत में आंकड़ों एवं शेषों से संबंधित उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और उसे रिकार्ड में रख दिया गया है।

(iv) प्रमाणित किया जाता है कि विनियोग लेखा सार (केंद्रीय) में अपनाए गए आंकड़े इस विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाते हैं।

3. साथ ही, वर्ष 2015-16 का केंद्रीय लेनदेन विवरण प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद एक पत्र अलग से मासिक लेखा अनुभाग को भेज दिया जाए जिसमें निम्नलिखित प्रमाणित किया गया हो:-

(i) वर्ष 2015-16 का केंद्रीय लेनदेन विवरण पत्र सं.....दिनांक.....के द्वारा वित्त लेखा अनुभाग को सौंप दिया गया है।

(ii) केंद्रीय लेनदेन विवरण के आंकड़ों का ई-लेखा के आंकड़ों से और योजना व्यय का पीएफएमएस (पहले यह सीपीएसएमएस के रूप में जाना जाता था) के आंकड़ों से मिलान कर लिया गया है और उनमें कोई विसंगति नहीं है।

(iii) मार्च 2016 (पूरक-I) प्रस्तुत किए जाने के बाद की गई शुद्धियां और आवधिक समायोजन मार्च 2016 (प्रारम्भिक लेखा) लेखों में कर दिए गए हैं। कोई शुद्धि/समायोजन न होने की स्थिति में, शून्य पूरक-I लेखा मासिक लेखा अनुभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. इस कार्यालय को ई-लेखा पर केंद्रीय लेनदेन विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद, विशेष मामलों को छोड़कर जिसमें जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से शुद्धियां करके ई-लेखा पर अपलोड किया जाना होगा, कोई शुद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। प्रणाली निर्मित हार्ड प्रति जोकि मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक (स्वतंत्र प्रभारी) द्वारा हस्ताक्षरित हो संयुक्त महालेखा नियंत्रक को अवश्य प्रस्तुत कर दी जाए। जर्नल प्रविष्टि को ब्योरेवार कारणों से उचित सिद्ध किया जाना चाहिए। सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 16.3.4 के साथ पठित पैरा 5.9 में की गई अपेक्षा के अनुसार, इनके साथ हमेशा केंद्रीय लेनदेन विवरण से संबंधित परिणामों शुद्धियों का विवरण हमेशा लगा होना चाहिए जिसमें सही किए जाने वाले आंकड़े और सही करने के बाद अंतिम आंकड़े दर्शाए गए हों।

5. वर्ष 2015-16 की सभी जर्नल प्रविष्टियां ई-लेखा पर अपलोड किए जाने और वित्त लेखा अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदित कराए जाने के बाद, पूरक-II लेखा लघु शीर्ष स्तर से नीचे की सभी शुद्धियों सहित मासिक लेखा अनुभाग को प्रस्तुत कर दिया जाए।

6. पिछला अनुभव यह दर्शाता है कि विभागीय समाधान पूरा करने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कई मामलों में वार्षिक लेखें बंद करने में विलम्ब हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि प्राप्तियों और व्यय दोनों के आंकड़े, यदि बकाया हों तो इनका तत्काल अद्यतन विभागीय समाधान कर दिया जाए।

7. एक मंत्रालय/विभाग द्वारा दूसरे मंत्रालय/विभाग की ओर से वर्ष 2015-16 के दौरान की गई अदायगियों/प्राप्तियों से संबंधित नामे जमाओं के सभी समायोजनों को उसी वर्ष के लेखों में अंतत: लेखाबद्ध किया जाना चाहिए। इस संबंध में, मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों (स्वतंत्र प्रभारी) द्वारा मासिक लेखे संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में सिविल लेखा नियम पुस्तिका का पैरा 8.5 और दिनांक 24.2.2016 का कार्यालय ज्ञापन सं. एस-11022/01/201/ई-लेखा/एम.एकाउंट्स/2015-16/104 में दिए गए अनुदेशों को कृपया ध्यान में रखा जाए।

8. लेखों को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि वर्ष 2015-16 को लेखों में किए जाने वाले ब्याज समायोजन आदि सहित आवधिक और वार्षिक समायोजनों के सभी मामलों की पूरी तरह से समीक्षा की जाए। ऐसा तत्काल किया जाए, यदि आवश्यक हो तो अन्य संबंधित मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों के साथ परामर्श कर लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

चालू वर्ष के लेखों में किए जाने वाले कोई भी समायोजन शेष नहीं रहे और पूरक-I बंद करने से पूर्व सभी समायोजन विधिवत शामिल कर दिए गए हैं।

9. शेषों के समाधान के परिणामस्वरूप या अन्य प्रकार से ज्ञात हुए ऋण, जमा और प्रेषण लेखा शीर्षों के मामले में पूर्व वर्षों से संबंधित गलत वर्गीकरणों को सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.3.4 में वर्णित पद्धति से नियमित लेखों के माध्यम से सही डी.डी.आर लेखा शीर्ष को अंतरित करके ठीक कर दिया जाए। बिना किसी वास्तविक लेखा समायोजन के शेषों में शुद्धि जोकि वर्ष 1982-83 से पूर्व प्रोफार्मा आधार पर की जाती थी, अब 'पूर्व अवधि समायोजन' के माध्यम से की जाती है जैसा कि सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.15.3 में उल्लेख किया गया है।

10. मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदान के संबंध में और प्रत्येक प्रकार्यात्मक मंत्रालय/विभाग की ओर से किए गए **अनुदानवार, मुख्य/लघु शीर्ष व्यय के आंकड़ों का ब्योरा** केंद्रीय लेनदेन विवरण सहित प्रणाली निर्मित रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध होगा। वित्त लेखा, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसकी समीक्षा की जाए।

11. मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदानों से संबंधित और प्रत्येक प्रकार्यात्मक मंत्रालय/विभाग की ओर से **वेतन एवं भत्तों और सहायिकियों का ब्योरा** केंद्रीय लेनदेन विवरण सहित प्रणाली निर्मित रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध होगा। वित्त लेखा, महालेखा नियंत्रक कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसकी समीक्षा की जाए।

12. महालेखाकार, लेखों के केंद्रीय पक्ष का प्रचालन केवल सीमित प्रयोजन हेतु करने के लिए प्राधिकृत हैं अत: वे अपने केंद्रीय लेनदेन विवरण, यदि कोई हों, टाइप किए गए कागजों पर भेज सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि आंकड़े मासिक लेखा अनुभाग को भी भेज दिए गए हैं।

13. प्रोफार्मा आधार पर **अपनाए गए/छोड़ दिए गए शेषों की वार्षिक रिपोर्ट** निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाए।

लेखा शीर्ष मुख्य/लघु शीर्ष	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक अपनाए गए शेष	महालेखाकारवार/प्रधान लेखा कार्यालयवार ब्योरा	उस पत्र की संख्या और तारीख जिसके अंतर्गत प्रमाणित प्रोफार्मा 'ख' संबंधित महालेखाकार/प्रधान लेखा कार्यालय को भेजा गया था।
1	2	3	4

शेषों को अपनाए जाने/छोड़ दिए जाने के प्रभाव को संबंधित विवरण में व्यक्त किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तत्संबद्ध मंत्रालय ने भी शेषों को अपनाए जाने/छोड़ दिए जाने को अपनी सामग्री में दर्शाया है।

14. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरकार की इक्विटी धारिताओं के विनिवेश** के मामले में **निवेश को पूंजीगत परिव्यय में से कम करने** के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों में **प्रोफार्मा समायोजन** किया जाना अपेक्षित है। यदि कोई मंत्रालय/विभाग विनिवेशों और प्रीमियम, यदि कोई हो, से धनराशि प्राप्त करता है, तो वह इसे सही लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करेगा। यदि धनराशि एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित है जो उसी मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आता है तो वह मंत्रालय/विभाग उसे समाविष्ट करेगा और उसका ब्योरा केंद्रीय लेनदेन विवरण सहित वित्त लेखा अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। तथापि, इस प्रकार प्राप्त धनराशि किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित है तो प्राप्तकर्ता मंत्रालय इसे ई-लेखा के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग को सूचित करेगा। संबंधित मंत्रालय को इसे स्वीकार करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो वह अपेक्षित सूचना प्राप्त करेगा तथा इस प्रकार की समस्त सूचना शामिल करने के बाद उसका ब्योरा केंद्रीय लेनदेन विवरण सहित वित्त लेखा अनुभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराएगा।

अनुबंध 'ख'

संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों के संकलन के लिए सामग्री तैयार किए जाने संबंधी सामान्य अनुदेश

1. संघ सरकार के वित्त लेखों संबंधी सामग्री लेनदेनों को निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित करके इस कार्यालय को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष के दौरान के आंकड़े केंद्रीय लेनदेन विवरण/जर्नल प्रविष्टियों से मेल खाते हों। तथापि, प्रोफार्मा आधार पर अपनाए गए/छोड़ दिए गए ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों का जहां तक संबंध है, इस प्रकार अपनाए गए छोड़ दिए गए वास्तविक शेषों का पूरा ब्योरा अब से पहले तक जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में सहायक विवरण में दिया जाना है।

2. विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष और 'उचंत शीर्षों' एवं 'बकाया चेकों' के अंतर्गत भारी संचयन सरकार और लेखा परीक्षा का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। प्रतिकूल शेषों की संख्या और उचंत शीर्ष एवं बकाया चेकों के अंतर्गत शेषों के संचयन में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी गहराई से छानबीन की जाए और वर्ष 2015-16 में ही इन्हें समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्रालय विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक (स्वतंत्र प्रभारी) और महालेखाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्त लेखों के विवरण सं. 13, 14, 14क और 16 संबंधी सामग्री के साथ अपने द्वारा हस्ताक्षरित **'की गई कार्रवाई टिप्पणी' संलग्न करें** जिसमें प्रतिकूल शेषों के कारण और उपचारात्मक उपायों का उल्लेख किया गया हो तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई का वर्णन किया गया हो।

3. विगत में देखा गया है कि केंद्रीय लेनदेन विवरण/सामग्री में, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, ऋणात्मक लेनदेनों का एक कारण पिछले वर्षों में किए गए गलत वर्गीकरण को ठीक करना था। यह लेखा परीक्षा को स्वीकार्य नहीं है। जहां भी ऋणात्मक लेनदेन हों उनके कारण सुस्पष्ट होने चाहिए और गलत वर्गीकरण को ठीक करने के मामले में, जिस वर्ष/वर्षों से यह गलत वर्गीकरण संबंध रखता हो वह और संबंधित लेखा शीर्ष को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. पूरे मंत्रालय/विभाग की वर्ष 2015-16 के लिए शेषों की समीक्षा पर समेकित रिपोर्ट वित्त लेखा अनुभाग को 19 अगस्त, 2016 तक पहुंच जानी चाहिए।

5. विगत में यह देखा गया है कि पूर्व अवधि समायोजन संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए इस कार्यालय को नहीं भेजे जाते बल्कि उन्हें विवरणों में शामिल किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पैरा 5.15 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पूर्व अवधि समायोजन के लिए एक प्रस्ताव जिसमें पूर्ण पृष्ठभूमि और औचित्य का उल्लेख किया गया हो, महालेखा नियंत्रक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों के विवरण संख्या 4 (आईजीएएस-I) प्रस्तुत किए जाने संबंधी फार्मेट

1. विवरण सं.4 - संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

यह विवरण नीचे (xviii) पर दिए गए फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। विवरण सं. 4(आईजीएएस-I) प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें इस प्रकार हैं:-

i. सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 10.10.4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार गारंटियां जारी किए जाने संबंधी डाटा की जांच लेखा कार्यालय द्वारा नहीं की जाएगी। वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण संख्या-4 (आईजीएएस-I) से संबंधित सूचना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के वित्त स्कंध से मंगाई जाएगी। वित्त स्कंध इसके सही होने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधिवत पुष्टि किया गया विवरण प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 21 तारीख तक संबंधित प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक को भेज दिया जाए। मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक फिर इसे निर्धारित तारीख तक महालेखा नियंत्रक कार्यालय के वित्त लेखा अनुभाग को भेजने की व्यवस्था करेगा।

ii. यदि भेजे जाने के लिए कोई सूचना न हो तो 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए।

iii. सूचना तीन भागों - 'श्रेणीवार' 'सेक्टरवार' और 'गारंटियों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित प्रकटीकरण' में प्रस्तुत की जानी है।

iv. विवरण सं.4 तैयार करने के लिए डाटा/सूचना कृपया करोड़ रुपयों में दशमलव के दो स्थानों तक और संलग्न प्रोफार्मा में उल्लिखित श्रेणियों और कालमों के अनुसार प्रस्तुत की जाए अर्थात सूचना लाभार्थी कम्पनियों/निगमों/पत्तन न्यासों, आदि के नाम के बिना मंत्रालय/विभागवार प्रस्तुत की जाए।

v. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार के वित्त लेखों में शामिल किए जाने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई गारंटियों की सूचना आपके मंत्रालय/विभाग द्वारा बजट दस्तावेजों/अनुदानों की मांग में शामिल किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग को भेजे गए आंकड़ों से मेल खाती हो।

vi. बाहरी गारंटियों की राशि को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किए जाते समय कृपया **31.3.2016** को प्रचलित विनिमय दर को अपनाया जाए और आंकड़े तदनुसार भेजे जाएं।

vii. गारंटियों की संख्या को कालम 9, 10 एवं 11 के अलावा प्रत्येक कालम के नीचे कोष्ठक में नोट किया जाना चाहिए।

viii. **वर्ष 2015-16 के आंकड़े प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष के प्रारम्भ में गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि (कालम 3) पिछले वर्ष के अंत में (अर्थात् 31.3.2015) गारंटियों की संख्या और गारंटियों की बकाया राशि के बराबर हो जैसा कि आपके कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 के विवरण के कालम सं.8 में दर्शाया गया हो।** किसी प्रकार की विभिन्नता होने पर इसके समर्थन में उपयुक्त टिप्पणी अवश्य दी जानी चाहिए।

ix. वर्ष के दौरान जोड़ी गई किसी भी गारंटी को विवरण के कालम 4 में दर्शाया जाना चाहिए। इसे वर्ष के प्रारंभ में बकाया गारंटियों में जोड़ा जाना चाहिए (कालम 3) और 'वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि' के कालम 2 में दर्शाया जाना चाहिए
अर्थात **(कालम 2)** = "(कालम 3) + (कालम 4)"।

x. **वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों की राशि** (कालम 8), वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि (कालम 2) के जोड़ में से वर्ष के दौरान विलोपन (आह्वानित से भिन्न) {अर्थात् कालम 5} घटाकर फिर उन्मोचित गारंटियां जो वर्ष के दौरान आह्वान की गई थीं की राशि {अर्थात् कालम 6} घटाकर फिर अननुमोचित गारंटियां जो वर्ष के दौरान आह्वान की गई थीं (कालम 7) की राशि घटाकर प्राप्त राशि होनी चाहिए।
अर्थात् **(कालम 8)** = "(कालम 2) - (कालम 5) - (कालम 6) – (कालम 7)"

xi. **इसी प्रकार वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों की संख्या** (कालम 8) ज्ञात की जानी चाहिए।

xii. वर्ष के दौरान आह्वान की गई गारंटियों के लिए कवरिंग नोट में अलग से एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाए/विवरण के सम्बद्ध पृष्ठ पर पाद टिप्पणी दी जाए।

xiii. प्राप्त गारंटी कमीशन अथवा शुल्क (कालम 10) प्राप्य गारंटी कमीशन अथवा शुल्क (कालम 9) से अधिक न हो। यदि ऐसा नहीं है तो इसके लिए पाद टिप्पणियों में उपयुक्त औचित्य का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

xiv. विगत अनुभव से देखा गया है कि वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्कों की राशि जो यह लघु लेखा शीर्ष '0075.00.108 - गारंटी शुल्क' के अंतर्गत **केंद्रीय लेनदेन विवरण में** दर्शाता है वह विवरण 4 में दर्शाई गई राशि से भिन्न होती है। इससे लेखा परीक्षा से प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त होती हैं। अत:, इस कार्यालय को विवरण सं. 4 भेजते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राप्त गारंटी शुल्क की राशि जो लेखा शीर्ष '0075.00.108 - गारंटी शुल्क' में दर्शाई गई है और विवरण सं.4 के सम्बद्ध कालम में दर्शाई गई राशि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का अंतर होने पर उसका विस्तृत स्पष्टीकरण पाद टिप्पणी द्वारा दिया जाए।

xv. साथ ही, प्राप्त हुए गारंटी शुल्क की राशि की सूचना कालम 10 में इस कार्यालय को भेजने से पूर्व उस मंत्रालय/विभाग के संबंध में सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क की राशि का ब्योरा भी प्राप्त कर लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त कुल गारंटी शुल्क जोकि कालम 10 के अंतर्गत दर्शाया गया है वह 0075-00-108 के अंतर्गत दर्शाए गए गारंटी शुल्क तथा सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क की राशि से मेल खाता हो। इस संबंध में एक पाद टिप्पणी भी दी जाए।

xvi. वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की समग्र सीमा का ध्यान रखते हुए मामला प्रति मामला गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, अपर महालेखा नियंत्रक द्वारा इसे अनुमोदन प्रदान किया गया है कि वर्ष 2012-13 और उससे आगे प्रकटीकरण विवरण में "सीमा, यदि कोई निर्धारित की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है" कालम के अंतर्गत कोई भी सूचना देने के स्थान पर यह अवश्य लिखा जाना चाहिए कि **"वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की समग्र सीमा का ध्यान रखते हुए मामला प्रति मामला गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है"।**

xvii. विवरण सं.4 प्रस्तुत करते समय जिन अन्य विशेष बातों को सुनिश्चित किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:-

क. विवरण सं.4 संबंधी सामग्री की दो प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
ख. राशियां दो दशमलवों सहित करोड़ रुपयों में प्रस्तुत की जाएं।
ग. गारंटियों की संख्या प्रत्येक कालम के अंतर्गत कोष्ठकों में लिखी जाए।
घ. प्रस्तुत की जाने वाली राशि अनिवार्य रूप से भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की जाए और विदेशी मुद्रा की कोई राशि होने पर उसे **31.3.2016** को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाए।
ङ. किसी विशेष श्रेणी से संबंधित **केवल गारंटियों की समेकित राशि और समेकित संख्या** को ही गारंटियों की श्रेणीवार और सेक्टरवार सूचना में उस श्रेणी के अंतर्गत दर्शाया जाए।
च. जांच सूची को अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए।

xviii विवरण सं.4 - सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का फार्मेट:

क. संघ सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान दी गई गारंटियों की श्रेणी से संबंधित ब्योरा:-

श्रेणी

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज की अदायगी, रोकड़ जमा सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी प्रचालनों के वित्तीयन और कम्पनियों, निगमों एवं सहकारी समितियों और बैंकों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दी गई गारंटियां;

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांडों या कर्जों, जारी किए गए या लिए गए डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां;

(iii) मूलधन की पुनर्अदायगी, कर्जों संबंधी ब्याज या प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और सामग्री एवं उपस्कर या प्रदान की गई सेवा संबंधी अदायगी के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, विदेशी संविदाकारों, विदेशी पूर्तिकर्ताओं और विदेशी परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों के अनुसरण में दी गई गारंटियां;

(iv) की गई पूर्तियों या प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी पूर्तिकर्ताओं को बैंकों द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के प्रतिफल स्वरूप बैंकों को प्रति-गारंटियां।

(v) कम्पनियों या निगमों द्वारा देयताओं की विधिवत और समय पर अदायगी के लिए रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य निकायों को दी गई गारंटियां;

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों या निगमों को सौंपी गई संविदाओं या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां;

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों या निगमों को सौंपी गई संविदाओं या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां;

(viii) कोई अन्य

श्रेणीवार ब्योरा: गारंटियों के लिए

मंत्रालय/विभाग का नाम:-

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान आह्वानित से भिन्न)	वर्ष के दौरान आह्वानित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन या शुल्क		अन्य महत्व पूर्ण ब्योरा
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी(i)										
श्रेणी(ii)										
श्रेणी(iii)										
श्रेणी(iv)										
श्रेणी(v)										
श्रेणी(vi)										
श्रेणी(vii)										
श्रेणी (viii)										

[टिप्पणी:- गारंटियों की संख्या प्रत्येक कालम के अंतर्गत कोष्ठक में लिखी जाए।]

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
दूरभाष सं.

(ख) सेक्टर संबंधी ब्योरा:

सेक्टर का नाम

1. विद्युत;
2. सहकारी
3. सिंचाई
4. सड़क और परिवहन
5. राज्य वित्तीय निगम
6. शहरी विकास और आवास
7. अन्य अवसंरचना
8. कोई अन्य

प्रत्येक श्रेणी के लिए सेक्टरवार ब्योरा : गारंटियों के लिए

मंत्रालय/विभाग का नाम:-

उस सेक्टर का नाम जिससे मंत्रालय/विभाग सम्बद्ध है:-

(राशि करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान आह्वानित से भिन्न)	वर्ष के दौरान आह्वानित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन या शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण ब्योरा
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रेणी(i)										
श्रेणी(ii)										
श्रेणी(iii)										
श्रेणी(iv)										
श्रेणी(v)										
श्रेणी(vi)										
श्रेणी(vii)										
श्रेणी (viii)										

[टिप्पणी:- गारंटियों की संख्या प्रत्येक कालम के अंतर्गत कोष्ठक में लिखी जाए।]

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

दूरभाष सं.

(ग) विवरण सं.4 के प्रकटीकरण - वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार प्रत्येक क्षेणी के लिए प्रस्तुत की जानी है:-

मंत्रालय/विभाग का नाम

क्र.सं.	श्रेणी	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिस के भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	31.3.2015 की स्थित के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वत: नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
		(क)		(ख)		(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)
1.	श्रेणी (i)									
2.	श्रेणी (ii)									
3.	श्रेणी (ii)									
4.	श्रेणी (iv)									
5.	श्रे									

	णी (v)									
6.	श्रे णी (vi)									
7.	श्रे णी (vii)									
8.	श्रे णी (viii)									

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

टेलीफोन नं.

अनुबंध - घ

आईजीएएस-2 के अनुसार विवरण संख्या - 9 के प्रकटीकरण को तैयार करने के लिए अनुदेश

1. सभी अनुदानग्राही श्रेणियों की पूरी सूचना प्रोफार्मा 1 (क) एवं 1 (ख) के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी चाहिए। **विवरण मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।**

2. पीएफएमएस के अंतर्गत (पूर्व सीपीएसएमएस) के अंतर्गत योजनागत निधियों के अंतर्गत सहायता अनुदान पहले से ही अनुदानग्राही श्रेणी के साथ रखी जा रही हैं; पीएफएमएस में उपलब्ध अनुदानग्राही श्रेणी आईजीएएस- 2 में श्रेणी के अनुरूप है। दोनों के बीच मैपिंग निम्नानुसार है:

आईजीएएस - 2 के अनुसार अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	**सीपीएसएमएस के अनुसार तदनरूपी मैपिंग**
राज्य सरकार	राज्य सरकार
संघ राज्य क्षेत्र सरकार	
शहरी स्थानीय निकाय	स्थानीय निकाय
पंचायती राज संस्थाएं	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सरकार पीएसयू और केंद्र सरकार पीएसयू
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)	पंजीकृत सोसाइटियां (एनजीओएस)
स्वायत्त निकाय	पंजीकृत सोसाइटियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)
सहकारी समितियां और सहकारी संस्थाएं	न्यास
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	सांविधिक निकाय
अन्य	केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य सरकार संस्था और राज्य सरकार डीडीओ (संस्था का नाम)

3. सूचना लाख रुपयों में पूरे विस्तृत श्रेणी के साथ प्रस्तुत की जाए।

4. कार्यात्मक मुख्य शीर्षों सहित सभी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जारी की गई अनुदानों का अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते समय लेखा जोखा किया जाए। आईजीएएस-2 विवरण सकल आधार पर तैयार की जानी चाहिए।

5. 'वस्तु रूप में सहायता अनुदान' की सूचना का हिसाब प्रोफार्मा-1 (ख) के अनुसार रखा जाए। पिछले वर्षों के दौरान यह पाया गया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों में 'सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां' और 'वस्तु रूप में जारी की गई सहायता अनुदान का मूल्य' दोनों के लिए समान आंकड़े प्रस्तुत किए जबकि उनमें से कुछ ने 'वस्तु रूप में जारी की गई सहायता अनुदान का मूल्य' के लिए विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

6. प्रस्तुत की गई सूचना का एससीटी में की गई बुकिंग के साथ सामंजस्य होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना की अवश्य वस्तु शीर्ष स्तर (वस्तु शीर्ष 31, 35, 36) तक ई-लेखा के माध्यम से की गई सहायता अनुदान का नियंत्रकवार/अनुदानवार बुकिंग के साथ क्रास चेक भी होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना, एससीटी में सहायता अनुदान की बुकिंग और ई-लेखा में सहायता अनुदान का अनुदानवार, वस्तु शीर्षवार बुकिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

7. उपर्युक्त मैपिंग का उपयोग करते हुए पीएफएमएस में उपलब्ध सहायता अनुदान का विवरण का समाधान ई-लेखा के साथ होना चाहिए। ई-लेखा और पीएफएमएस में यदि कोई अंतर है, तो इसका विश्लेषण किया जाए और इसके कारण आईजीएएस - 2 विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाए।

<u>ई-लेखा एवं पीएफएमएस आंकड़ों के बीच अंतर की पहचान करना</u>:- ई-लेखा लघु शीर्ष 911/912/913 के अंतर्गत 'घटाएं - सहातया अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली' को हिसाब में लेते हुए वर्ष के दौरान जारी निवल अनुदानों को दिखाता है। पीएफएमएस, तथापि, वर्ष के दौरान जारी की गई सकल अनुदानों को दर्शाता है। इनमें अंतर कुछ अन्य कारणों से भी हो सकता है जैसे कि जीईपीजी भुगतान चूक की वजह से एक बिल के लिए काम्पेक्ट में कई भुगतान किया जाने, राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र को जारी अनुदानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पीएफएमएस में गलती से कई बार प्रविष्ट किया जाना आदि।

8. योजनागत और योजनेतर के लिए प्रस्तुत ई-लेखा (योजना एवं योजनेतर) आंकडों तथा पीएफएमएस (योजनागत) आंकड़ों के साथ मेल खाता दर्शाने वाला समाधान विवरण प्रोफार्मा 1 (ग) में प्रस्तुत किया जाना है।

9. जेई द्वारा एससीटी में बदलाव का प्रभाव भी सहायता अनुदान के विवरण में, यदि मान्य है, दर्शाया जाना चाहिए और इस कार्यालय को जेई के साथ सूचित करना चाहिए। सीपीएसएमएस सहित समाधान विवरण में भी तदनुसार परिवर्तन करना चाहिए।

प्रोफार्मा-1

भारत सरकार लेखाकरण मानक: 2

(क) वर्ष 2015-16 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी		**सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां**			**कॉलम 2 के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियां**		
1		**2**			**3**		
	लेखा शीर्ष	**योजना**	**योजनेतर**	**कुल**	**योजना**	**योजनेतर**	**कुल**
राज्य सरकार							
संघ राज्य क्षेत्र सरकार							
शहरी स्थानीय निकाय							
पंचायती राज संस्थाएं							
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम							
गैर सरकारी संगठन							
स्वायत्त निकाय							
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं							
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण							
अन्य							
कुल							

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय का नाम:-

दूरभाष संख्या:-

(ख) वर्ष .....के दौरान वस्तु के रूप में जारी किए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य और वस्तु जो कि स्वरूपत: पूंजीगत परिसम्पत्ति है के रूप में सहायता अनुदान के मूल्य का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी		सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां	कॉलम 2 के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियां
1		2	3
	लेखा शीर्ष		
राज्य सरकार			
संघ राज्य क्षेत्र सरकार			
शहरी स्थानीय निकाय			
पंचायती राज संस्थाएं			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
गैर सरकारी संगठन			
स्वायत्त निकाय			
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं			
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण			
अन्य			
कुल			

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय का नाम:-

दूरभाष संख्या:-

(ग) **भारत सरकार लेखाकरण मानक-2 के लिए समाधान विवरण**

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी	सीपीएसएमएस के अनुसार समवर्ती मैपिंग	वस्तुगत शीर्ष	मैनुअल प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार		ई-लेखा प्रणाली के अनुसार		पीएफएमएस प्रणाली के अनुसार
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना
राज्य सरकार	राज्य सरकार	31					
		35					
		36					
संघ राज्य क्षेत्र सरकार		31					
		35					
		36					
शहरी स्थानीय निकाय	स्थानीय निकाय	31					
		35					
		36					
पंचायती राज संस्थाएं		31					
		35					
		36					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र सरकार के उपक्रम	31					
		35					
		36					
गैर सरकारी संगठन	पंजीकृत समितियां	31					
		35					
		36					
स्वायत्त निकाय	पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	31					
		35					
		36					
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	न्यास	31					
		35					
		36					

सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	सांविधिक निकाय	31					
		35					
		36					
अन्य	केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य सरकार का संस्थान एवं राज्य सरकार का डीडीओ (निकायों के नाम)	31					
		35					
		36					

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

अनुबंध -'ङ'

विवरण संख्या 3 तैयार करने के लिए अनुदेश : संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों के विवरण का सारांश (आईजीएएस-3)

1. मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी इकाईयों से संबंधित सम्पूर्ण सूचना प्रोफार्मा -2 के अंतर्गत भाग-1 से 3 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई सूचना न हो तो, 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए। **विवरण पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।**

2. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार वित्त लेखों में शामिल किए जाने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों की सूचना विवरण संख्या 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाती हो।

3. (i) भाग : 1 के अंतर्गत कर्जों और अग्रिमों संबंधी सूचना **"ऋणी समूह"** के अंतर्गत निम्नलिखित समूह के अनुसार दी जाए:-

(क) राज्य सरकारें

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार

(ग) विदेशी सरकारें

(घ) सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि

(ड़) सरकारी कर्मचारी

(ii) केवल वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित आंकड़े (प्रगामी आंकड़े नहीं) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी 1 में दर्शाए जाएं।

(iii) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी 2 में केवल प्रगामी आंकड़े दर्शाए जाएं।

(iv) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी के लिए **"ऋणी समूह"** ऊपर 3 (i) में दिए के अनुसार है।

4. भाग : 2 - कर्जों तथा अग्रिमों का सार के अंतर्गत सूचना **'सेक्टर'** के अंतर्गत निम्नलिखित के अनुसार दी जाए:-

(क) सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075)

(ख) सामाजिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6202 से 6250 तक)

(ग) आर्थिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6401 से 7475 और मुख्य शीर्ष 7615)

(घ) राज्य सरकारें (मुख्य शीर्ष 7601)

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें (मुख्य शीर्ष 7602)

(च) विदेशी सरकार (मुख्य शीर्ष 7605)

(छ) सरकारी कर्मचारियों (मुख्य शीर्ष 7610)

अनुबंध -'च'

विवरण संख्या 15 - संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों का ब्योरेवार विवरण तैयार किए जाने संबंधी अनुदेश

1. मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत सभी इकाईयों से संबंधित सम्पूर्ण सूचना प्रोफार्मा -2 के अंतर्गत भाग-1 से 3 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई सूचना न हो तो, 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए। **विवरण पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।**

2. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार वित्त लेखों में शामिल किए जाने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों की सूचना विवरण संख्या 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाती हो।

3. भाग 2 और 3 में **"सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबद्ध है"** को जो पिछले वर्ष के दौरान दर्शाया गया था उससे बदला नहीं जाना चाहिए। तथापि, यदि कोई राशि लौटा दी जाती है जिसके कारण सबसे पहले की उस अवधि को बदले जाने की आवश्यकता होती है जिससे बकाया संबद्ध है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त राशि केंद्रीय लेनदेन विवरण में भी दर्शाई गई है। समाधान के परिणामस्वरूप परिवर्तन सहित कोई अन्य कारण होने पर पाद टिप्पणी में समुचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

4. इसके अतिरिक्त, कालम -"31.3.2015 को निकाय पर बकाया कुल कर्ज" के अंतर्गत भाग 2 और 3 में केवल कर्ज का मूलधन भाग दर्शाया जाए अर्थात ब्याज की बकाया राशि को उक्त कालम के अंतर्गत शामिल न किया जाए।

5. विगत में प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखा गया है सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए कर्जों की शर्तों और निबंधनों को कई वर्षों तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस संबंध में शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों को भाग : 3 के नीचे अतिरिक्त प्रकटीकरणों के अंतर्गत उप पैरा 2 में अवश्य बताया जाए। शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के तथ्य से लोक लेखा समिति को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अत:, ऐसे मामले में मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार लेखाकरण मानक : 3 (i)

विवरण संख्या 3 - वर्ष 2015-16 के लिए संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

भाग : 1 ऋण और अग्रिम का सारांश : ऋणी समूह वार

(लाख रुपयों में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2016 को अंत शेष {(2+3)-(4+5)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (6-2)**	**ब्याज अदायगी की बकाया राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य सरकार							
संघ राज्य क्षेत्र सरकार							
विदेशी सरकारें							
सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां किसान आदि							
सरकारी कर्मचारी							
कुल							

टिप्पणियां:-

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण के रूप में प्रदत्त कुल ..... लाख रुपए की राशि में से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया कर्ज ..... लाख रुपए था।

2. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ..... लाख रुपयों की पुनर्अदायगी को 31 मार्च, 2016 तक बट्टे खाते डाल दिया गया है।

3. वर्ष के प्रारंभ में, ... लाख रुपए का शेष था जो राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में स्वीकृत किया गया था। **वर्ष के दौरान**, ...लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में अदा की गई थी जो समाशोधन/भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों से बचने के लिए थी। राज्य सरकारों ने वर्ष के दौरान ..... लाख रुपए की पुनर्अदायगी की जिससे ..... लाख रुपए का शेष रहा।

4. नीचे ऋण के ऐसे मामले दिए गए हैं जिन्हें 'स्थायी ऋण' के रूप में स्वीकृत किया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	ऋणी निकाय	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
1	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
2	अन्य ऋणी निकाय				
			कुल		

भाग : 2 ऋण और अग्रिम का सारांश : सेक्टरवार

(लाख रुपयों में)

सेक्टर	1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2016 को अंत शेष {(2+3) - (4+5)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (6-2)**	ब्याज अदायगी की बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075)							
सामाजिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6202 से 6250)							
आर्थिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6401 से 7475 और मुख्य शीर्ष 7615)							
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें (मुख्य शीर्ष 7601 एवं 7602)							
विदेशी सरकार (मुख्य शीर्ष 7605)							
सरकारी कर्मचारी (मुख्य शीर्ष 7610)							
कुल							

भाग : 3 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों एवं अन्य ऋणी निकायों से पुनर्अदायगी के बकाया का सारांश

(लाख रुपयों में)

ऋणी-निकाय	31 मार्च 2016 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च, 2016 को निकाय पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
अन्य ऋणी निकाय					
कुल					

मुख्य महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय का नाम:-

दूरभाष संख्या:-

भारत सरकार लेखाकरण मानक : 3 (ii)

सं.15 - संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का ब्योरेवार विवरण

भाग : 1 ऋण और अग्रिम का मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्योरा

कुल संवितरण में से, योजना प्रयोजन की राशि को प्रत्येक मुख्य शीर्ष संबंधी संवितरण के कुल आंकड़ों के नीचे कोष्ठकों में दर्शाया गया है

(लाख रुपयों में)

मुख्य/लघु लेखा शीर्ष शीर्ष	1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2016 को अंत शेष {(3+4)-(5+6)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)**	जमा किया गया ब्याज
1 और 2	3	4	5	6	7	8	9
6202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण							
01 - सामान्य शिक्षा							
202 माध्यमिक शिक्षा							
203 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा							
600 सामान्य							
902 सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई घटाएं वसूलियां							
कुल - (01)							
02 - तकनीकी शिक्षा-							
104 पॉलिटेक्निक							
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान							
800 अन्य ऋण							
कुल - (02)							
03 - खेलकूद एवं युवा सेवाएं-							
800 अन्य ऋण							

कुल -							

(03)							
04 - कला एवं संस्कृति-							
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन							
797 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखे को/से अंतरण							
कुल - (04)							
कुल							
: : : आदि							
कुल जोड़							

भाग: 2 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से बकाया पुनर्अदायगी

(लाख रुपयों में)

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का नाम	31 मार्च 2016 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	**31 मार्च 2016 को निकाय पर बकाया कुल ऋण**
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
आंध्रप्रदेश					
अरुणाचल प्रदेश					
असम					
: : : **आदि**					
कुल - राज्य सरकारें					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					
चंडीगढ़					
: : : **आदि**					
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
कुल - राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
अन्य ऋणी निकायों का जोड़					
कुल जोड़ - राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और अन्य ऋणी निकाय					

भाग: 3 अन्य ऋणी निकायों या संस्थाओं से बकाया पुनर्अदायगी

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	31, मार्च 2016 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31, मार्च 2016 को निकाय पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
भारतीय केंद्रीय मत्स्य पालन निगम, हावड़ा					
हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु					
: : : **आदि**					
कुल					

अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष 2015-16 के दौरान दिए गए नए ऋण एवं अग्रिम राशि

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
अरुणाचल प्रदेश				
: :				

आदि				
कुल - राज्य सरकारें				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
चंडीगढ़				
: : : **आदि**				
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
म्यांमार				
तुर्कमेनिस्तान				
: : : **आदि**				
कुल - विदेशी सरकारें				
हिमाचल एग्रो लिमिटेड				
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची				
: : **आदि**				
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि				

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम				
कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि				
कुल योग				

टिप्पणी: ऋण और अग्रिम से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन :

1. नीचे ऋण के ऐसे मामले दिए गए हैं जिन्हें 'स्थायी ऋण' के रूप में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
अरुणाचल प्रदेश				
असम				
: : **आदि**				
कुल - राज्य सरकारें				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप				

समूह				
चंडीगढ़				
: : **आदि**				
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
म्यांमार				
तुर्कमेनिस्तान				
: : **आदि**				
कुल - विदेशी सरकारें				
हिमाचल एग्रो लिमिटेड				
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची				
: : **आदि**				
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि				
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम				

सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम				
कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि				
कुल योग				

2. सरकार द्वारा निम्नलिखित ऋण प्रदान किए गए हैं यद्यपि शर्तें और निबंधन अभी निर्धारित किए जाने हैं:

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	ऋणों की संख्या	कुल राशि	सबसे पहले की अवधि जिससे ऋण संबंधित है
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
अरुणाचल प्रदेश			
: : : **आदि**			
कुल - राज्य सरकारें			
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
चंडीगढ़			
: : :			

आदि			
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें			
म्यांमार			
तुर्कमेनिस्तान			
: : **आदि**			
कुल - विदेशी सरकारें			
हिमाचल एग्रो लिमिटेड			
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची			
: : : **आदि**			
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं; स्थानीय निधियां; किसान आदि			
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम			

सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम			
कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि			
कुल योग			

3. उन ऋणी निकायों को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे पिछले ऋणों की पुनर्अदायगी बकाया है

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय का नाम	चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च, 2016 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
अरुणाचल प्रदेश							
: : : **आदि**							

कुल - राज्य सरकारें							
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह							
: : : **आदि**							
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें							
म्यांमार							
तुर्कमेनिस्तान							
: : : **आदि**							
कुल - विदेशी सरकारें							
हिमाचल एग्रो लिमिटेड							
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्चि							
: : : **आदि**							
कुल सरकारी निगम, गैर							

सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि							
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम							
कुल- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि							

कुल योग							

आइजीएएस-3 के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए जांच सूची

1. प्रतिकूल शेष में संबंधित की गई टिप्पणी संलग्न है।

2. प्रोफार्मा आधार पर अपनाए गए/छोड़ दिए गए शेषों का ब्योरा संलग्न है अथवा दिनांक..... के पत्र सं. ..... द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है।

3. ऋणात्मक लेनदेन के कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

4. 7601/7602 के अंतर्गत आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

5. लेखा शुद्धता का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की जो सूचना इस कार्यालय को भेजी गई है वह विवरण सं. 3, 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण की सूचना से मेल खाती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

अनुबंध - 'छ'

वित्त वर्ष 2015-16 के विभिन्न विवरणों की सामग्री तैयार करने के लिए विस्तृत अनुदेश और दिशा निर्देश

1. विवरण सं.5 - शेष राशियों का सारांश

31 मार्च, **2016** की स्थिति के अनुसार शेष राशियों का सारांश सिविल लेखा नियमावली के सीएएम 41 एवं 42 के अंतर्गत दिए गए फार्मेट के अनुसार संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

ऐसे मामलों जिनमें विस्तृत लेखों के अनुरक्षण और उनके समाधान के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है के साथ-साथ खाता वही शेषों और ब्राडशीट के बीच ऐसा अंतर जिसका निपटान नहीं हुआ है के संबंध में जब से ये अंतर बने हुए हैं उसकी बिल्कुल ठीक अवधि का कृपया इस विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणी 3 में उल्लेख किया जाए।

2. **विवरण सं. 8 - लघु शीर्षवार राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार लेखा**

(i) इस विवरण को महालेखा नियंत्रक संगठन की वित्त लेखा शाखा द्वारा केन्द्रीय लेनदेन विवरण से संकलित और समेकित आंकड़ों से संकलित किया जाना है। तथापि, मुख्य लेखा नियंत्रकों/महालेखाकारों द्वारा वर्ष **2015-16** से संबंधित प्रत्येक लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों को वर्ष **2014-15** के वास्तविक आंकड़ों के साथ मिलान किया जाना और प्राप्तियों में अधिक परिवर्तन (कमी या वृद्धि) होने के कारणों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि (क) वसूली किया गया सारा राजस्व वास्तव में सरकार के पास जमा हो गया था और सही लेखा शीर्ष के अंतर्गत इसका लेखा जोखा रखा गया था; (ख) कोई गलत वर्गीकरण नहीं हुआ है; (ग) लेखों में दर्शाई गई प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों के साथ मिलान कर दिया गया था; और (घ) वर्ष **2014-15** की तुलना में वर्ष **2015-16** के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी, यदि कोई है, तो वह कुछ शुल्क/कर समाप्त कर दिए जाने या सरकार के किसी अन्य निर्णय या गलत वर्गीकरण के कारण नहीं थी। **इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों की उपर्युक्त अपेक्षा के अनुसार समीक्षा कर दी गई है।**

(ii) मुख्य लेखा नियंत्रकों/महालेखाकारों द्वारा 'ऋण' शीर्षों से भिन्न सभी शीर्षों के अंतर्गत अपने केंद्रीय लेनदेनों के विवरण में आने वाले **ऋणात्मक लेनदेनों के कारणों** को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

3. **विवरण सं. 9 - लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का तथा मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्योरेवार लेखा**

(i) इस विवरण को महालेखा नियंत्रक संगठन की वित्त लेखा शाखा द्वारा संकलित किया जाना है। तथापि, मुख्य लेखा नियंत्रकों/महालेखाकारों द्वारा 'ऋण' शीर्षों से भिन्न सभी शीर्षों के अंतर्गत अपने केंद्रीय लेनदेन का विवरण में दर्शाए गए ऋणात्मक लेनदेनों के कारणों को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) इस कार्यालय के दिनांक 25-02-2016 के जी-25018/1/2015-2016/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/82 की समय अनुसूची के पैराग्राफ 2(iii) द्वारा यथापेक्षित मुख्य शीर्ष **3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान** के अंतर्गत आने वाले सहायता अनुदान से संबंधित आंकड़ों को राज्य महालेखाकारों द्वारा विभिन्न महालेखाकारों की बहियों में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष **1601 - केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान** के अंतर्गत दर्ज किए गए तदनुरूपी आंकड़ों के साथ मिलान किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। कृपया वर्ष **2015-16** संबंधी समाधान करके, परिवर्तनों के कारणों की **जांच की जाए और इसके परिणाम एससीटी के साथ विवरण के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएं** जैसा कि प्राप्तियों के मामले में किया जाता है वर्ष **2015-16** के राजस्व व्यय के आंकड़ों का मिलान वर्ष **2014-15** के तदनरूपी आंकड़ों के साथ किया जाए और अधिक परिवर्तनों की व्याख्या फ्लापी में भेजे जाने वाले केंद्रीय लेनदेन विवरण के अग्रेषण पत्र में/केंद्रीय लेनदेन विवरण के प्रिंट आऊट के संबंधित पृष्ठों की पाद टिप्पणी में की जाए।

(iii) कृपया यह सुनिश्चित किया जाए किए केंद्रीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 'आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अंतरण' के अंतर्गत समायोजित राशियां भारतीय लोक लेखा भाग III में दर्शाई गई आरक्षित निधियों/जमाओं के अंतर्गत तदनुरूपी आंकड़ों के साथ और संघ सरकार के वित्त लेखे के विवरण संख्या 13 के साथ भी मेल खाती है। **ब्योरे विवरण के रूप में केंद्रीय लेनदेन विवरण के साथ उपलब्ध कराए जाएं।**

4. **पूंजीगत लेखा (विवरण सं. 10) पर व्यय का विवरण**

i. संशोधित लेखा शीर्षों के अनुसार वित्त वर्ष **2015-16** के लिए व्यय को **2014-15** तक के पूंजीगत व्यय और वर्ष **2015-16** के अंत में प्राप्त प्रगामी आंकड़ों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य और लघु शीर्ष (विवरण सं. 10) द्वारा पूंजीगत लेख में **2015-16** तक व्यय को निम्नलिखित प्रारूप में **23.05.2016** तक सूचित/प्रस्तुत किया जाए:-

पूंजीगत लेखे पर व्यय का विवरण (विवरण सं.10)

व्या का स्वरूप (मुख्य और लघु शीर्ष और कोड सं.)	**2014-15** तक व्यय	**2015-16** के दौरान व्यय	**2015-16** तक कुल व्यय
1	2	3	4
	₹	₹	₹

ii. व्यय के इस विवरण को प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राफॉर्मा संशोधन, यदि कोई हो, पूंजीगत लेखे के प्रगामी व्यय को बढ़ाकर या घटाकर किए गए हैं और इसके कारणों को पाद टिप्पणी में विधिवत प्रस्तुत किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 'पूर्व अवधि समायोजन लेखा' स्वरूप के लेखे के अंतर्गत ऐसे समायोजनों का पूरा लेखा सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.15.3 में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

iii. *'ऋण' शीर्षों से भिन्न सभी शीर्षों के अंतर्गत* ***ऋणात्मक लेनदेनों के कारण*** *उपयुक्त पाद टिप्पणियों के द्वारा स्पष्ट किए जाने चाहिए।*

iv. विवरण पूर्णतया प्राधिकृत मुख्य/लघु लेखा शीर्षों के अनुसार तैयार किया जाना।

v. ऋणात्मक प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के कारणों को पाद टिप्पणी में स्पष्ट किया जाए।

vi. यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष के दौरान हजार रुपयों में पूर्णांकित किए गए लेनदेन केंद्रीय लेने विवरण में दर्शाए गए लेनदेनों और निवेशों के विवरण सं. 11 से मेल खाते हों। इस आशय का प्रमाणपत्र कि विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों केंद्रीय लेनदेन विवरण और विनियोग लेखे और विवरण सं. 11 (निवेशों के संबंध में) के आंकड़ों से मेल खाते हैं विवरण के अंत में प्रस्तुत किया जाए।

vii. यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी व्यापार की स्कीमों से संबंधित वसूलियों (बिक्री आय आदि) को मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची के सामान्य निदेशों के पैपरा 4.3 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार एक विशिष्ट लघु शीर्ष घटाएं - पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियां और वसूलियां' (कोड सं. 901) के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

viii. पूंजीगत लेखा शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए डिबेंचरों में अब तक निवेश की गई राशि जिसे अभी पूंजीगत शीर्ष (वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में) के अंतर्गत प्रगामी व्यय के भाग रूप में दिखाया जा रहा है उसे 'कर्ज भाग' में उपयुक्त शीर्षों को अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। कृपया पुन: समायोजन, यदि पहले नहीं किया गया हो, तो वर्ष **2015-16** के दौरान 'पूर्व अवधि समायोजन' के माध्यम से अवश्य कर दिया जाए।

ix. मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सभी विवरण अर्थात् केंद्र सरकार की इक्विटी धारिता के विनिवेश के कारण वर्ष के दौरान विनिवेश किए गए शेयरों का अंकित मूल्य और संख्या अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग को सूचित की जानी चाहिए। साथ ही, संबंधित मंत्रालयों को पूंजीगत भाग के अंतर्गत अपने-अपने मुख्य/लघु लेखा शीर्षों के अंतर्गत इस संबंध में 'प्रोफार्मा समायोजन' कर देना चाहिए।

5. विवरण सं. 11 - संघ सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के अंत तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों में किए गए निवेशों को दर्शाने वाला विवरण

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंध में यह विवरण उनके संबंधित मुख्य लेखा नियंत्रकों/महालेखाकरों द्वारा नीचे (xix) में दिए गए फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर व्यय के लिए मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची लघु शीर्ष 190 के अंतर्गत पहले से ही है। यह पाया गया है कि विनिवेश के कारण हुए व्यय को अन्य लघु शीर्षों के अंतर्गत भी बुक किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश से संबंधित सभी व्यय को केवल लघु शीर्ष 190 के अंतर्गत बुक किया जाए।

(iii) निगमों/उपक्रमों आदि में विनिवेश के प्रभाव को विनिवेश किए गए शेयरों के अंकित मूल्य द्वारा शेयरों की संख्या और निवेश की राशि में कमी करके दिखाया जाए।

(iv) प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 10.11 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "निवेश रजिस्टर" बनाए जाने की आवश्यकता है। वित्त लेखों से संबंधित सामग्री की स्थानीय लेखा परीक्षा करते समय इन्हें लेखा को प्रस्तुत किया जाए।

(v) विवरण संलग्न प्रोफार्मा में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vi) वर्ष **2015-16** के दौरान किए गए सभी निवेश अनिवार्य रूप से मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष और साथ ही अनुदान संख्या का संदर्भ देते हुए विवरण में दर्शाए जाने चाहिए। निवेश, यदि अन्य लघु शीर्ष, लघु शीर्ष 190 के अलावा बुक हुआ है तो उसे विवरण सं.11 में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश के लिए बजट प्रावधान केवल लघु शीर्ष 190 के अंतर्गत किया गया है।

(vii) विवरण के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि वर्ष **2015-16** के दौरान दर्शाए गए सभी निवेशों का मिलान विनियोग लेखों में दर्शाए गए निवेशों के साथ कर लिया गया है। यह प्रमाणपत्र यथोचित सत्यापन के बाद दिया जाना चाहिए।

विगत में यह देखा गया है कि विवरण में कुछ निवेश शामिल नहीं किए गए थे जिन्हें बाद में पत्राचार के माध्यम से शामिल किया गया था। विवरण के लिए सामग्री तभी भेजी जाए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें पूरी सूचना शामिल कर ली गई है।

(viii) शेयरों की संख्या और शेयरों का अंकित मूल्य (कालम 5 और 6) दर्ज किया जाए और जिन मामलों में निवेश की राशि शेयरों के मूल्य के साथ मेल न खाती हो उनमें अंतर के कारणों का विवरण में दर्शाया जाए। शेयरों के सभी विनिवेशों को पाद टिप्पणी में विधिवत तथ्य का उल्लेख करते हुए संबंधित कालमों में दर्शाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है तो उन्हें उपयुक्त रूप से पाद टिप्पणी में दर्शाया जाना चाहिए।

(ix) लाभांश की घोषणा न किए जाने के कारणों को सूचित कर दिया जाए। यदि प्रतिष्ठान को हानि हो रही है तो **31.03.2016** के अंत हुई संचयी हानि को सूचित कर दिया जाए। **विगत में यह देखा गया है कि घोषित लाभांश की संचयी हानि/राशि संबंधी पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, समितियों आदि के साथ पहले से ही आवश्यक पत्राचार कर लिया जाए ताकि इस कार्यालय को नियम तारीख तक विवरण प्रस्तुत करते समय पूरे ब्योरे दिए जा सकें।**

(x) कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता (कॉलम8) और कॉलम 9 में लाभांश/ब्याज आदि की राशि के संबंध में सूचना अनिवार्य रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यदि कॉलम 9 शून्य है तो इसका कारण विवरण में दर्शाया जाए।

(xi) कंपनियों/निगमों के स्थित होने के स्थान अवश्य दर्शाए जाएं।

(xii) कंपनियों/निगमों के नाम पूरे रूप में दर्शाए जाएं न कि संक्षिप्त रूप में।

(xiii) बाद में कंपनियों/निगमों में परिवर्तित कर दिए गए सरकारी विभागों के मामले में आपका ध्यान सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.15.2 की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें यह निर्धारित किया गया है कि परिवर्तन से पहले ऐसे विभागीय उपक्रम से संबंधित विभिन्न पूंजीगत व्यय शीर्षों के अंतर्गत हुए प्रगामी व्यय को उपक्रम की स्थिति में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन से पूर्व हुआ पूंजीगत व्यय कंपनी/निगम के निवेशों के लेखे में शामिल कर दिया गया है।

(xiv) कंपनियों/निगमों से संबंधित आंकड़े अनिवार्य रूप से उनके वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए।

(xv) शेयरों के सभी विनिवेश को संबंधित कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए और तथ्य का पाद टिप्पणी में विधिवत उल्लेख किया जाना चाहिए। पूंजीगत शीर्ष जिसमें वित्त लेखे

के विवरण संख्या 10 में विनिवेश का प्रभाव दिया जाना है को भी अभ्युक्ति कॉलम में दर्शाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विनिवेश का प्रभाव वास्तव में विवरण संख्या 10 में संबंधित पूंजीगत लेखा शीर्ष में दिया गया है।

(xvi) यदि कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है तो इसका उल्लेख पाद टिप्पणी में किया जाना चाहिए। संबंधित कर्ज और पूंजीगत मुख्य, लघु लेखा शीर्ष को अभ्युक्ति कॉलम में दर्शाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के प्रभाव वास्तव में विवरण सं. 10 और 13 में दिए गए हैं।

(xvii) विवरण में वर्ष के दौरान किए गए निवेश/विनिवेश/कर्ज के इक्विटी में परिवर्तन को अलग से दर्शाया जाए।

(xviii) विवरण संख्या 11 के साथ नीचे दिए फार्मेट के अनुसार **जांच सूची (जिसे संबंधित मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित किया हो तथा इसे विवरण के साथ इस कार्यालय को भेजा जाए) होनी चाहिए:-**

क कालम 7 और 9 में राशि रुपयों में प्रस्तुत की गई है।

ख कंपनियों के सामने दर्शाया गया कुल लाभांश केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए लाभांश से मेल खाता है।

ग वर्ष के दौरान किए गए निवेश केंद्रीय लेनदेन विवरण और साथ ही विवरण सं. 10 के लिए सामग्री दर्ज की गई राशि से मेल खाते हैं।

घ "शून्य" लाभांश के कारण प्रस्तुत किए गए हैं और यदि कंपनियां/समितियां घाटा उठा रही हैं तो **मार्च, 2016** तक की संचयी हानि प्रस्तुत की गई है।

ड़ इस आशय का प्रमाण पत्र कि विवरण सं. 11 में यथाप्रस्तुत 2015-16 के दौरान किए गए निवेश का मिलान विनियोग लेखे के आंकड़ों से कर लिया गया है।

xix विवरण सं. 11 का फार्मेट- वर्ष 2015-16 के अंत तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश दर्शाने वाला विवरण।

	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का ब्योरा	**2015-16** के अंत तक निवेश की गई कुल राशि	कुल प्रदत्त पूंजी की तुलना में सरकार के निवेश की प्रतिशतता	वर्ष **2015-16** के दौरान प्राप्त हुई और सरकार को जमा किए गए लाभांश/ब्याज की राशि **(हजार रुपयों**	अभ्युक्तियां

								में)	
			शेयरों के प्रकार	संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**सांविधिक निगम**								
II	**संयुक्त पूंजी कंपनियां**								
(क)	सरकारी कंपनियां/निगम								
(ख)	अन्य कंपनियां								
III	**अंतर्राष्ट्रीय निकाय**								
IV	**राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक**								
V	**सहकारी समितियां**								
	कुल								

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
टेलीफोन नं.

7. **आकस्मिकता निधि विवरण:**

केंद्रीय लेनदेन विवरण भेजते समय आकस्मिकता निधि के संबंध में सूचना कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए। वर्ष **2015-16** के लिए आकस्मिकता निधि विवरण की एक प्रति इस कार्यालय को सूचित करते हुए अनिवार्य रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी सम्मिलित वित्त और राजस्व लेखे का संकलन के लिए भेजी जाए।

भाग- II - 8000 - आकस्मिकता निधि

मुख्य लेखा शीर्ष	1.4.2015 को	वर्ष के दौरान	पिछले वर्ष के	वर्ष के दौरान

का नाम जिसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघु शीर्ष के रूप में माना गया	शेष	समेकित निधि या अन्य आरक्षित निधि से विनियोग	अंत तक वे अग्रिम जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई है	निधि से अग्रिम
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान निधि को प्रतिपूर्ति	वर्ष के अंत तक वे अग्रिम जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई					31.3.2016 को शेर्ष (कालम 2 + कालम 3 + - कालम 5 + कालम 8)
कालम 4 के अग्रिम की	कालम 5 के अग्रिम की	जोड़ (कालम 6 + कालम 7)	कालम 4 के अग्रिम की कालम 5 - कालम 7)	कालम 5 के अग्रिम की कालम 5 - कालम 7)	जोड़ (कालम 9 + कालम 10)	
6	7	8	9	10	11	12

8. **विवरण सं. 13 - ऋण, जमा राशियां, प्रेषणों और आकस्मिकता निधि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेष राशियों का विवरण**

(क) ऋण, जमा राशियां, प्रेषणों और आकस्मिकता निधि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेष राशियों के विवरण को तैयार किए जाने संबंधी सामग्री कृपया निम्नलिखित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जाए।

लेखा शीर्ष (मुख्य और लघु लेखा शीर्ष) और कोड सं.	**1.4.2015** को अथ शेष	वर्ष **2015-16** के दौरान प्रोफर्मा आधार पर छोड़ दिए गए/स्वीकार किए गए शेष (वास्तविक राशि का ब्योरा महालेखाकार/प्रधान लेखा कार्यालयवार अलग से दिया जाए)
1	2	3
	₹	₹

1.4.2015 को संशोधित अथ शेष (कालम 2+3)	वर्ष **(2015-16)** के दौरान प्राप्तियां (केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए अनुसार)	वर्ष **(2015-16)** के दौरान संवितरण (केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए अनुसार)	**31.3.2016** को अंत शेष
4	5	6	7
₹	₹	₹	₹

कालम (2), (4), (5), (6) और (7) के आंकड़ों को हजार रुपयों में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

प्रधान लेखा कार्यालयों ने प्रोफार्मा आधार पर **31.3.2016** तक महालेखाकार द्वारा उनको आवंटित ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों को पहले ही अपना लिया और इन शेषों को इस विषय पर जारी अनुदेशों के अनुसार वर्ष **2015-16** के अपने विवरण सं. 13 में पहले ही शामिल कर लिया है। इसलिए **1.4.2015** की स्थिति के अनुसार अथ शेषों में उनके द्वारा अपनाए गए शेष शामिल होने चाहिए।
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में अपनाए दर्शाए गए शेषों को ही वार्षिक लेखों को बंद करने संबंधी समय अनुसूची की मद 2 (iv) के अनुसार इस कार्यालय को **17.05.2016** तक प्रस्तुत किए जाने होते हैं को विवरण सं. 13 के कालम 3 में पूर्ण रुपए में दर्शाया जाना चाहिए। यदि यह विवरण पहले ही भेज दिया गया है तो कृपया वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने वाले पत्राचार की संख्या और तारीख भी उद्धृत की जाए।

(ख) निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

(i) विवरण पूर्णतया लघु लेखा शीर्षों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए जो मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार अधिकृत मुख्य/लघु लेखा शीर्षों के अनुसार हो। प्रत्येक मुख्य लघु लेखा शीर्ष का जोड़ किया जाना चाहिए।
(ii) प्रत्येक मुख्य/लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के दौरान 'प्राप्तियों' और 'संवितरणों' के आंकड़े केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खाने चाहिए।

(iii) उचंत मुख्य शीर्षों '8658 से 8683 तक' के अंतर्गत कालम 6 (संवितरण) और कालम 7 (अंत शेष) के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों से संकेत प्राप्त होगा कि उसके अंतर्गत कुछ मदें/लेनदेन बिना स्वीकृति और संबंधित अनुदान की मांगों के विनियोग लेखों में अंतिम व्यय शीर्ष में समायोजन के बिना बने हुए हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सामान्य तौर पर वर्ष के अंत में इनमें से किसी शीर्ष के अंतर्गत कोई शेर्ष बकाया न रहे। मार्च से संबंधित और उसी महीने भुनाए गए बाह्य स्टेशन के वेतन बिलों की राशि दर्शाने वाले शेष अवश्य ही लघु शीर्ष उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत बकाया रहेंगे।

(iv) मुख्य शीर्ष '8670 - चेक और बिल' के अंतर्गत बकाया राशि को बिना भुनाए चेकों की राशि का ही परिचायक होना चाहिए। सामान्य तौर पर, इस शीर्ष के अंतर्गत कोई भी राशि तीन महीने से ज्यादा बकाया नहीं रहनी चाहिए। कृपया इस शीर्ष के अंतर्गत शेष जहां भी आवश्यक हो, पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राय: समीक्षा की जाए। विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत 31.12.1015 को या उससे पहले जारी किए गए चेकों के संबंध में बकाया चेकों की राशि को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिए गए फार्म में विवरण सं. 13 की सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जाए:

(हजार रुपयों में)

मुख्य शीर्ष 8670 के अंतर्गत लघु शीर्ष	विवरण सं. 13 के अनुसार **31.03.2015** को शेष	**31.12.2015** को या उससे पूर्व जारी किए गए चेकों के संबंध में **31.03.2016** की स्थिति के अनुसार शेष राशि
102 भुगतान और लेखा कार्यालय चेक		
103 विभाग चेक		
----------चेक		
जोड़		

(v) मुख्य शीर्ष '8658 - 111 उचंत लेखे' के अंतर्गत लघु शीर्ष 'विभागीय समायोजन लेखा' विभागीकृत लेखाकरण प्राधिकारियों की बही में वर्ष 1982-83 के लेखों से अप्रवर्ती हो गया था। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष **2015-16** के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई अनुवृद्धियां न हों, लेकिन पुरानी मदों को इस लघु शीर्ष का उपयोग करके निपटान किया जा सकता है। वर्ष **2015-16** के अंत तक बकाया शेष का निपटान करने की कार्रवाई की जाए।

(vi) मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के मुख्य शीर्ष 8658 उचंत लेखों के नीचे टिप्पणी (4) में शामिल अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय भुगतान एवं लेखा अधिकारियों (मंत्रिमंडल सचिवालय को छोड़कर) को लघु शीर्ष 8658-00-107 नकद निपटान उचंत लेखा के प्रचालन की अनुमति नहीं है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि **2015-16** के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई नई अभिवृद्धियां न हों परन्तु इस लघु शीर्ष के प्रचालन के माध्यम से पुरानी मदों को समाशोधित किया जा सकता है। कृपया **2015-16** के अंत तक बकाया शेष राशि को समाशोधित करने की कार्रवाई करें।

(vii) वर्ष **2015-16** के अंत तक मुख्य शीर्ष '8658 से 8663 तक' के नीचे विभिन्न उचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत यथा बकाया शेष राशि का पुनर्विलोकन किया जाए और सभी बकाया मदों को समाशोधित करने के/बकाया शेष राशि को कम करने के लिए यथा

समय उचित कदम उठाए जाएं। दिनांक **31.3.2016** की स्थिति के अनुसार शेष राशि का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया जाए।

(viii) उचंत शीर्षों '8658 से 8663 तक' के अंतर्गत शेष राशियों को विवरण सं. 13 में निवल आधार पर दर्शाया जाता है। इन शेष राशियों के समाशोधन पर निगरानी रखने के लिए इस तरह की शेष राशियों का विवरण नीचे दिए गए फार्मेट में प्रस्तुत किया जाए:

(हजार रुपयों में)

मुख्य शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष		**31.3.2016** को अंत शेष (निवल जैसा कि विवरण सं. 13 में दर्शाया गया है)	अंत शेष का विवरण (सकल आधार पर)	
	कोड	ब्योरा		नामे	जमा

(ix) यदि शीर्षों के अंतर्गत कोई नामे शेष राशि है जिसके अंतर्गत सामान्यत: जमा शेष अथवा इसके विपरीत होना चाहिए, जो प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाता है, तो उसके कारणों को प्रतिकूल शेष राशि के परिसमापन हेतु की गई कार्रवाई के साथ पाद टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(x) वर्ष के दौरान उचंत शीर्षों को छोड़कर किसी भी शीर्ष के अंतर्गत सामान्यत: कोई ऋणात्मक लेनदेन नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऋणात्मक लेनदेन होते हैं, तो उसके पूरे कारण दर्शाए जाएं।

(xi) ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अथशेष पिछले वर्ष के विवरण में दर्शाए गए संबंधित अंतशेष से मेल खाना चाहिए। शेषों के समाधान के परिणामस्वरूप अथवा अन्य प्रकार से पकड़ में आए ऋण, जमा तथा प्रेषण लेखा शीर्षों के मामले में पिछले वर्षों से संबंधित गलत वर्गीकरण का परिशोधन सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.3.4 में निर्धारित तरीके से नियमित लेखों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। बिना किसी वास्तविक लेखा समाशोधन शेषों में सुधार जो 1982-83 से पहले प्रोफार्मा रूप में किया जाता था, वह अब 'पूर्व अवधि समायोजन', के माध्यम से किया जाता है जैसा कि सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.15.3 में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार के वित्त लेखे, **2015-16** के विवरण सं. 13 के लिए सामग्री प्रस्तुत करते समय इस अपेक्षा को ध्यान में रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए

कि पिछले वर्ष के दौरान जहां कहीं भी आगे की कार्रवाई/जांच और उपचारात्मक उपाय करने का विश्वास दिलाया गया था, वह बाद के वर्ष में वास्तव में किया गया है; और यदि नहीं किया गया है, तो उसके कारण दर्शाए जाएं।

(xii) भाग 'च - कर्ज तथा अग्रिम' और 'झ - लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' के अंतर्गत आंकड़े विवरण सं. 13 में संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत उप-मुख्य शीर्षों/लघु शीर्षों के अनुसार दर्शाए जाएं क्योंकि ये ब्योरा इस कार्यालय में विवरण सं. 14,15 तथा 16 के संकलन के लिए अपेक्षित होता है।

(xiii) मुख्य शीर्ष '6001 - केंद्रीय सरकार का आंतरिक ऋण' के अंतर्गत लघु शीर्ष कोड सं. 101, 105 तथा 106 के आंकड़ों को संघ सरकार के वित्त लेखों के विवरण सं. 14क में उप शीर्षवार दर्शाया जाना अपेक्षित होता है। अत: इस शीर्ष के आंकड़ों को विवरण सं. 13 में उप शीर्षवार प्रस्तुत किया जाए।

(xiv) प्रत्येक भाग/उप-भाग/मुख्य शीर्ष आदि का जोड़ सभी स्तरों पर किया जाए। उसके बाद, अंत में कुल जोड़ किए जाएं।

9. विवरण सं. 14 तथा 14क - सरकार के ऋण और अन्य ब्याज वाले दायित्वों का विवरण तथा भारत में लिए गए बाजार कर्जों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गईं प्रतिभूतियों का ब्योरा।

विवरण सं. 14 में शामिल किए जाने के लिए मुख्य शीर्ष '6001' तथा '6002' से संबंधित के अलावा विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋण, विदेशी मुद्रा/रुपए (करोड़ में) में अंतशेष और अपनाई गई विनिमय दर **(31.3.2016)** का ब्योरा दर्शाने वाले अतिरिक्त विवरण को निम्नलिखित फार्म में ***पूर्णतया सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक*** द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है:

क्र.सं.	देश का नाम (विदेशी मुद्रा कोष्ठकों में दर्शाई गई है)	**01.04.2015** की स्थिति के अनुसार बकाया शेष	**2015-2016** के दौरान अभिवृद्धियां	**2015-16** के दौरान पुनर्भुगतान
1	2	3	4	5

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष	**2015-16** के दौरान अदा किया गया ब्याज	**31.03.2016** की स्थिति के अनुसार बकाया शेष (करोड़ रुपए में)	अपनाई गई विनिमय दर **31.03.2016**
6	7	8	9

बाजार ऋण आदि का ब्योरा दर्शाने वाला **विवरण सं. 14 क मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग** द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

10. विवरण सं. 16 - राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

विवरण सं. 16 का परिशिष्ट सं. 2

यह सूचना ***मुख्यत: मुख्य लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग*** **द्वारा निम्नलिखित फोर्मेट में प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

क्र.सं.	राज्य का नाम	**01 अप्रैल, 2015** की स्थिति के अनुसार बकाया	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	कुल
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान उन्मोचन	**31 मार्च, 2016** की स्थिति के अनुसार बकाया	प्राप्त ब्याज और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में जमा
6	7	8

11. विनिवेश (विवरण सं. 10 और 11)

विवरण सं. 10 में, **31.3.2015** की स्थिति के अनुसार प्रगामी पूंजीगत परिव्यय को स्थिति को स्पष्ट करती पाद टिप्पणी के साथ संगत लघु शीर्ष से वर्ष **2015-16** के दौरान विनिवेशित इक्विटी (अर्थात् अंकित मूल्य x विनिवेशित शेयरों की संख्या) के अंकित मूल्य से घटा दिया जाएगा। यह राशि विवरण सं. 11 में संबंधित निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निवेश में से भी घटाई जानी अपेक्षित है। विवरण सं. 10 और 11 के लिए सामग्री प्रस्तुत करने से पहले कृपया इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

12. सभी आवधिक तथा वार्षिक समायोजनों को दर्शाने वाली सूची:-

(i) समायोजन करके लेखों में शामिल किया गया और

(ii) वर्ष **2015-16** के लिए लेखों में अभी किए जाने वाले समायोजनों की सूची (बाद के मामले में कारणों सहित) प्रस्तुत की जानी चाहिए। वित्त लेखा को सामग्री भेजते समय इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि सभी आवधिक समायोजन कर लिए गए हैं।

13. **सभी सामग्री को डबल स्पेस में टाइप करके दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विवरणों की दो प्रतियां एक साथ प्रत्यायित लेखापरीक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जानी चाहिए।**

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्रीय लेन-देन विवरण में जहां कहीं भी सुधार किया जाए तो इस कार्यालय को पहले ही संघ सरकार के वित्त लेखों के लिए भेजी गई सामग्री में सुधार करवा दिया जाए और साथ ही लेखापरीक्षा अधिकारी को भी सुधार सूचित कर दिया जाएं ताकि आंकड़ों के दोनों सेट एक दूसरे से मेल खाएं। विगत में यह नोट किया गया था कि केंद्रीय लेन-देने विवरण तथा विनियोग लेखों में दर्शाए जाने के लिए आंकड़ों को एक समान रूप से पूर्णांकित नहीं किया गया था जिससे ऐन वक्त पर जनरल प्रविष्टियां करनी पड़ती थी। कृपया ऐसी स्थिति से बचा जाए। केंद्रीय लेन-देन विवरण में तथा वित्त लेखों की सामग्री में सुधार के सभी विवरणों को लेखा संगठन के प्रमुख जैसे कि मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, के हस्ताक्षर से भेजा जाना चाहिए।

15. मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/महालेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित संघ सरकार वित्त लेखों के लिए निर्धारित सामग्री के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि सीमित प्रमाणपत्र दिया गया है तो उसके कारणों और मात्रा का ब्योरा दिया जाना चाहिए।

प्रमाण-पत्र

`मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तुत किए गए लेखे सही हैं और मेरे संगठन द्वारा रखे गए आरंभिक लेखों से मेल खाते हैं। मैं संतुष्ट हूं कि शेष राशि चाहे वह नकद में हो अथवा निवेश के रूप में अथवा ऋण, जमा तथा प्रेषण लेखा शीर्षों के अंतर्गत उनकी विधिवत जांच की गई है और वे मेरे संगठन द्वारा रखे गए अलग रजिस्टरों अथवा अन्य रिकार्डों में दर्शाई गई शेष राशि से मेल खाती है और साथ ही विभिन्न आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों के नामे और जमा की राशि निधियों के संगत अधिनियमों अथवा नियमों द्वारा प्राधिकृत राशि के लिए थीं और यह भी कि जिन प्रयोजनों के लिए निधियों का गठन किया गया था अथवा अनुदानों को बनाया गया था उनसे इतर प्रयोजनों के लिए निधियों का कोई अपयोजन नहीं किया गया था।

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
टेलीफोन नं.

अनुबंध-'ज'

संघ सरकार वित्त लेखे 2015-16 संबंधी सामग्री (विवरण सं. 4 एवं 11 को छोड़कर अन्य विवरणों के लिए) प्रस्तुत किए जाने के लिए जांच सूची

विवरण सं.5, विवरण सं. 9 संबंधी प्रकटीकरण (आईजीएएस - 2 के अनुसार) विवरण सं. 10, 13, 14 (सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा), 14क (मुख्य लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, 15 और 16 (मुख्य लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा परिशिष्ट सं.2) संलग्न हैं।

1. प्रतिकूल शेषों से संबंधित 'की गई कार्रवाई टिप्पणी' संलग्न है।

2. प्रोफार्मा आधार पर अपनाए गए/छोड़ दिए गए शेषों के ब्योरे संलग्न हैं या दिनांक .....के पत्र सं.....द्वारा पहले ही भेजा दिए गए हैं।

3. लेजर और ब्राडशीटों के बीच असमाधानीकृत अंतरों के ब्योरों का उल्लेख विवरण सं. 5 की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में किया गया है।

4. ऋणात्मक लेनदेनों के कारणों की व्याख्या दिनांक 25.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.25018/1/2015-2016/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/82 की अपेक्षा के अनुसार की गई है।

5. पूंजीगत व्यय शीर्षों के अंतर्गत ऋणात्मक प्रगामी शेषों के कारण स्पष्ट कर दिए गए हैं।

6. सभी आवधिक और वार्षिक समायोजन करके उन्हें लेखों में शामिल कर लिया गया है और किए गए समायोजनों की सूची संलग्न है।

7. मुख्य शीर्ष 8658 से 8662 तक मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्षों के अंतर्गत भारी बकाया शेषों के कारण स्पष्ट कर दिए गए हैं और ऐसे शीर्षों के अंतर्गत **31.3.2016** की स्थिति के अनुसार बकाया राशि का वर्षवार ब्योरा प्रस्तुत कर दिया गया है।

8. मुख्य शीर्ष '8670 - चेक और बिल' के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत **31.12.15** को या उससे पूर्व जारी किए गए चेकों के संबंध में **31.3.2016** की स्थिति के अनुसार बकाया चेकों की राशि दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

9. विभिन्न उचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत निवल अंत शेष का सकल ब्योरा पैरा 14(ख) (viii) के अंतर्गत निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत कर दिया गया है।

10. लेखे की विशुद्धता का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
टेलीफोन नं.